मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास शर्मा (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 84/2023 रे0वाद

मंजू कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत आयु 37 वर्ष निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीया

बनाम

01 किशन सिंह पुत्र देवी सिंह।
02 जमना कंवर पत्नि शम्भु सिंह।
03 दलपत सिंह पुत्र शम्भु सिंह।
समस्त आयु बालिग जाति राजपूत निवासीयान् नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
04 मीना पुत्री शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि इन्द्र सिंह निवासी खोबागुड़ा नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली।
05 लक्ष्मण सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
06 सीमा कंवर पुत्री शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि करण सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डप तहसील मावली जिला उदयपुर।
07 सूरज सिंह पुत्र नाथू सिंह ।
08 हरि सिंह पुत्र नाथू सिंह।
09 बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह।
10 कुन्दन सिंह पुत्र नारायण सिंह।
11 संतोष कंवर पत्नि नारायण सिंह।
समस्त जाति राजपूत आयु बालिग निवासीयान् नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
12 इन्दरा कंवर पुत्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि गमेर सिंह राजपूत निवासी फरारा तहसील भीम जिला राजसमंद।
13 फुला कंवर पत्नि अमर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
14 आरती कंवर पुत्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल पत्नि नारायण सिंह निवासी तगड़िया का गुड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
15 उषा कंवर नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि चतर सिंह जाति राजपूत निवासी बस्सी तहसील भीम जिला राजसमंद।
16 गेर कंवर पत्नि नाथू सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
17 रूकमा कंवर पुत्री नाथु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा पत्नि उदय सिंह निवासी कोदवाड़िया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

.... प्रतिवादीगण

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :-

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार मेहता

02. अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः- 7/5/2026

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते विभाजन हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा नरदास का गुड़ा पटवार हल्का नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में कृषि भूमि के खाता नम्बर 282 आराजी नम्बर 1081 रकबा 0.2800 है0 एवं उक्त वर्णित आराजियात के गत नम्बर 1030 शा0न0 एवं 1031 है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 01 व प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 के पूर्वज शम्भुसिंह एवं अन्य प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही थी एवं उनका अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा भी चला आ रहा था। उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 01 व उनके भाई शम्भू सिंह का 1/2 हिस्सा था व शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है। तत्कालीन स्वामी प्रतिवादी संख्या 01 किशन सिंह व प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के पिता/पति शम्भू सिंह ने अपने हिस्से 1/2 हिस्सा को राशि रूपये 5000/- दिनांक 16.06.2010 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से वादीया के पक्ष में बेचान कर दी गई थी चूंकि तत्समय पुराने नम्बर 1031 शा0न0 1031 थे व उसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय देवगढ़ से हुई थी व उस समय उनके दक्षिणी पूर्वी तरफ के बंटवारे में आये हिस्से का कब्जा भी वादीया को सुपुर्द कर दिया गया उस हिस्से पर वादीया निरन्तर उपयोग-उपभोग करती चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के पूर्वज स्व. शम्भूसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से वादीया के पक्ष में पंजीयन करवाकर वादीया को 1/2 हिस्से पर निरंतर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया का हिस्सा 1/2 हिस्से रोड़ से दक्षिणी पूर्वी की तरफ का हिस्सा आया हुआ होकर वादीया ने काफी रूपये खर्च कर उन्नत एवं विकसित बनाकर निरंतर काश्त करती चली आ रही है। उक्त कब्जेशुदा हिस्से का संलग्न नजरी नक्शा मय लाल सही से पृष्ठांकन भी किया गया जो इस वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादीया उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति पटवार हल्का पटवारी को दी गई थी और पटवारी ने वादीया को विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि 1/2 हिस्से आपके नाम पर दर्ज कर दूंगा और वादीया यह सोचती रही कि उक्त भूमि हमारे नाम पर अमल दरामद हो चुकी है वादीया निरंतर काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 के परिवारजन का सजरा निम्न है।

शंभू सिंह फौत

जमना कंवर	दलपत सिंह	मीना कंवर	लक्ष्मण सिंह	सीमा
पत्नि	पुत्र	पुत्री	पुत्र	पुत्री

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वर्णित हिस्से की भूमि को काफी उन्नत एवं विकसित करवाया गया व निरन्तर भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है व उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादीया द्वारा उक्त भूमि पर खरीद से ही कब्जा चला आ रहा है जिसकी जानकारी शुरू से ही प्रतिवादीगण को रही है प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 वादीया के कब्जे देखते भी चले आ रहे है इस प्रकार से वादीया 12 वर्षो से ज्यादा समय से प्रतिकूल कब्जा भी हो गया है जिस आधार पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हो गये है। तथाकथित विक्रय विलेख भी 12 वर्षो से ज्यादा पुराना होने से वे दस्तावेज का इस अंतराल में विरोध नहीं किये जाने व दस्तावेज रजिस्टर्ड भी होने से प्रतिवादीगण कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते न ही करने के अधिकारी है। उक्त वाद कारण अर्सा दस पूर्व पैदा हुआ जब वादीया उक्त खरीदी हुई जमीन की नकल लेने गई तो पता चला कि उक्त जमीन में वादीया का नाम नहीं आया तथा विक्रेता शम्भुसिंह के वारिसान के नाम अन्य आराजियात भी उसमें शामिल होने से उनके नाम दर्ज हो गया है वादीया द्वारा विक्रय विलेख की प्रति पटवारी के पास ले जाने से व उनके द्वारा यह बताने पर उक्त जमीन में शम्भुसिंह के वारिसान आ जाने से तथा सेटलमेंट होकर नया नम्बर आ जाने से उक्त भूमि का नामान्तकरण आपके नाम पर नहीं खोल सकते है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर उक्त विवादित जमीन से वादीया के कब्जेशुदा भूमि को हड़प करना चाह रहे है जबकि उसका कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे तथा वादीया के शान्तिपूर्वक कब्जे में मदाखलत मजाहमत नहीं करे कब्जा करने की कोशिश नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 उक्त भूमि का विक्रय विलेख रहन बख्शीश नही करे न ही अन्य से करावे। अतः ग्राम नरदास का गुड़ा पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम के आराजी नम्बर 1081 में 1/2 हिस्से वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का नाम उक्त जमाबंदी से हटवाया जाकर वादीया के नाम दर्ज किया जावें एवं उक्त वर्णित आराजियात का मौके अनुसार जो वादीया का दक्षिणी पूर्वी तरफ आधा हिस्सा आया हुआ है का रिकॉर्ड में बंटवारा करवाया जाकर वादीया के आये हिस्से का रिकॉर्ड व नक्शे में तरमीम किया जाकर अलग किया जावे तथा उस हिस्से का वादीया को काश्तकार एवं खातेदार घोषित किया जावे।

उपरोक्त वाद में हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.02.2026 द्वारा वादी को मौजा नरदास का गुड़ा पटवार हल्का नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में कृषि भूमि के खाता नम्बर 282 आराजी नम्बर 1081 रकबा 0.2800 है0 का प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री का आदेश जारी किया गया। उपरोक्त आदेश की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। इस प्रकार जमाबंदी एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान् के मध्य खातेदारी विभाजन बाबत निम्नानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

वर्तमान जमाबंदी अनुसार						प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव					
खाता संख्या	खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा(है. में)	किस्म	लगान	क्र.सं.	नाम खातेदार	आ. न.	रकबा	किस्म	लगान
282 ग्राम नरदास का गुड़ा	आरती कंवर 1/24, उषा कंवर 1/24 रूकमा कंवर 1/24, सूरज सिंह 1/24 हरिसिंह 1/24 पिता नाथू सिंह गेर कंवर पत्नी नाथू सिंह 1/24 कुन्दनसिंह पिता नारायण सिंह 1/20 संतोष कवर पत्नी नारायण सिंह 1/20 चन्दरी देवी 1/20 बहादुर सिंह 1/20 पिता अमर सिंह फूलाकंवर पत्नी अमर सिंह 1/20 राजपूत मंजू कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार	1081	0.2800	बारानी 2	1.12	01	आरती कंवर 1/12, उषा कंवर 1/12 रूकमा कंवर 1/12, सूरज सिंह 1/12 हरिसिंह 1/12 पिता नाथू सिंह गेर कंवर पत्नी नाथू सिंह 1/12 कुन्दनसिंह पिता नारायण सिंह 1/10 संतोष कवर पत्नी नारायण सिंह 1/10 चन्दरी देवी 1/10 बहादुर सिंह 1/10 पिता अमर सिंह फूलाकंवर पत्नी अमर सिंह 1/10 राजपूत सा. देह खातेदार	1081/1	0.1400	बारानी 2	0.56
						02	मंजू कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह राजपूत सा. देह खातेदार	1081	0.1400	बारानी 2	0.56
	किता	01	0.2800		1.12		किता	02	0.2800		1.12

उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीम माफिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजसमन्द) • भीम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 84/2023 रे0वाद

मंजू कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत आयु 37 वर्ष निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीया

बनाम

01 किशन सिंह पुत्र देवी सिंह।
02 जमना कंवर पत्नि शम्भु सिंह।
03 दलपत सिंह पुत्र शम्भु सिंह।
समस्त आयु बालिग जाति राजपूत निवासीयान् नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
04 मीना पुत्री शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि इन्द्र सिंह निवासी खोबागुड़ा नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली।
05 लक्ष्मण सिंह पुत्र शम्भु सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
06 सीमा कंवर पुत्री शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि करण सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डप तहसील मावली जिला उदयपुर।
07 सूरज सिंह पुत्र नाथू सिंह ।
08 हरि सिंह पुत्र नाथू सिंह।
09 बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह।
10 कुन्दन सिंह पुत्र नारायण सिंह।
11 संतोष कंवर पत्नि नारायण सिंह।
समस्त जाति राजपूत आयु बालिग निवासीयान् नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
12 सुन्दरा कंवर पुत्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि गमेर सिंह राजपूत निवासी फरारा तहसील भीम जिला राजसमंद।
13 फुला कंवर पत्नि अमर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।
14 आरती कंवर पुत्री नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल पत्नि नारायण सिंह निवासी तगड़िया का गुड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
15 उषा कंवर नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा हाल निवासी पत्नि चतर सिंह जाति राजपूत निवासी बस्सी तहसील भीम जिला राजसमंद।

Scanned with OKEN Scanner

16 गेर कंवर पत्नि नाथू सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राज0।

17 रूकमा कंवर पुत्री नाथु सिंह जाति राजपूत निवासी नरदास का गुड़ा पत्नि उदय सिंह निवासी कोदवाड़िया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 7/5/2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता व प्रतिवादी स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 7/5/26 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि मौजा नरदास का गुड़ा पटवार हल्का नरदास का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद में मूल वाद में अंतिम डिक्री एवं तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार किया जाकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीम/पटवारी हल्का नरदास का गुड़ा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा नरदास का गुड़ा पटवार हल्का नरदास का गुड़ा तहसील भीम में स्थित खाता नम्बर 282 आराजी नम्बर 1081 रकबा 0.2800 है0 भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

यह आज तारीख 7/5/26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(विकास शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
6. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामिल			–
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी • भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner